सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग हेतु किफायती

आवासीय योजना



EWS & LIG FLATS



पार्थ आर्का पार्थ इन्क्राबिल्ड प्राठ सिठ सैक्टर-7, गोमती नगर एक्सटेशन, शहीदमध्य, लखनऊ। गोठ:- 91-9984798999, 9984865888, 0522-4935900-50 रिजस्टर्ड आफिस: पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लिंठ प्लॉट नं० 73, याउण्ड फ्लॉर, पटपडमंज इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली — 110 092 वेबसाइट—www.paarthinfra.com

REPU

विवरण पुरितका

उत्तर प्रदेश सरकार की सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने की नीतियों के अन्तर्गत सैक्टर—7 गोमती नगर एक्सटेशन, शहीदपथ, लखनऊ में प्रस्तावित 'पार्थ आर्का 'योजना के अन्तर्गत किफायती (G+7) आवासीय योजना प्रारम्भ की जा रही है जहाँ सीमित (अल्प एवं निम्न) आय वर्ग के लिए अत्यन्त कम कीमत पर, अच्छी निर्माण क्वालिटी एवं सर्व सुविधा सम्पन्न महोट उपलब्ध होंगे।

उपरोक्त योजना का विकास पार्थ इन्फ्राबिल्ड पाठ लिठ (Paarth Infrabuild Pvt. Ltd.) एवं

ए.बी.सी. इनकाप्रमोटर्स प्राo लिंठ के द्वारा हस्ताक्षरित संगुक्त विकास अनुबन्ध (JDA) दिनांक 11.10.13 के अंतर्गत की जा रही है।

लखनक अब ऐसे स्थान के रूप में विकसित हो रहा है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी आए लोग अपनी नौकरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण यहाँ स्थापित होने के उद्देश्य से एक किफायती मकान की आवस्थकता गहसूस करते हैं। इन्हों आवस्थकताओं की पूर्वि के लिए 'पार्थ आर्का में किफायती (G+7) आवासीय योजना में फ्लैटों का पंजीकरण प्रारम्भ किया है। आम जनता के लिए बनाये जाने वाले यह फ्लैट किफायती, मजबूत एवं सामान्य जीवन की सभी सुविधाओं से युक्त होंगे।

इस योजना के जन्तर्गत जयलब्ध पलैटों का अनुमानित बिल्टअपक्षेत्रफल 28.35 वर्ग मी. व 51.00 वर्ग भी. होगा। फलैटों में लिकिंग रूम/बेड रूम, रसोई घर (किचन) रनानग्रह एवं बालकनी का प्राविधान है। पलैटों के डिजाईन में समुधित वायुसंचार (बैटिलेशन) एवं रोशनी की व्यवस्था का मी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे कि फलैट हवादार एवं प्राकृतिक रोशनी से भरपूर हो। भूकम्परोधी निर्माण, पार्क एवं बच्चों के लिए खेलने की समुधित व्यवस्था, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानें, वाहन खड़े करने का निर्धारित स्थल (पार्किंग) इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।









लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्राविधानों के अन्तर्गत 'पार्थ आर्का' किफायती (G+7) आवासीय योजना के भवनों का विवरणः

1 पंजीकरण

- 1.1 पजीकरण हेतु पात्रताः
 - आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी पाहिए।
 - आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवटन में वरीयथा नहीं मिलेगी।
 - आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पित/पत्नी तथा अवयरक बच्चों
 से हैं) के किसी सदस्य का लखनऊ विकास प्राधिकरण, अवास विकास परिषद, इस्पूर्वमेण्ट दूरट,
 किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/मवन
 नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपसेवत अभिकरणों
 अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/मवन नहीं होना चाहिए।
 - एक परिवार एक ही आवेदन कर सकता है।
 - पलैद्श के आवदन हेतु केवल पति, पत्नी अथवा एक ही परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, परन्यु इसकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी। अन्य कोई संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगा।
 - EWS हेतु ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जिनके पास निजी मोटराइच्ड चार- यहिया वाहन है।
 - आवंदन के बाद सफल आवंदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ—पत्र एवं अन्य दस्तावंजी में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।
 - आवैदकों का प्रजीकरण नीति के अनुसार प्राधिकरण से मजूरी के अपीन है।
 - सेवा कर आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा जो इकाई की उल्लिखित राषि में धार्मिल नहीं है।
 - कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का कर्ज / लोन कराने का उत्तरदायिक नहीं होगा एवं आवटी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। कम्पनी का दायित्व केवल परियोजना से संबंधित अभिलेखीय कागजात उपलब्ध कराना होगा।
 - प्राधिकरण दारा भविष्य में कर्ज से सबिधा पोलीसी में किसी भी प्रकार का समोधन होने से आवटी के कर्ज / लोन पे आये हुए किसी भी प्रतिकृत प्रभाव के लिए कम्पनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होना इसके लिए आवटी स्वयं जिम्मेदार होगा।



2. सम्पत्तियों का विवरण

बिल्डिंग एवं फ्लैटों के खिजाईन में परिवर्तन हो सकता है।

पलेट के प्रकार	अनुगानित	अनुगानित बिल्टअप एरिया (व.मी.)	अनुगानित सुपर एरिया (व.मी.)	अनुमानित विक्रय मूल्य (क. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू. भें)	चयन के पच्चात एक माह में देग धनराशि (क.)	अवषेष मुगतान
EWS	48	28.35	35.10	5.32	15000	30000	रोष धनशिष 24 माह में 8 तिमाही किस्तों
LIG	48	51.00	63.14	14.71	35000	70000	श्रे जमा करना होगा

ई उब्दू एस. हेतु आवंटी की वार्षिक खाम सीमा क. 1,00,000/ एन एन एन.आई.जी. हेतु वार्षिक आम सीमा रू 1,00,000/ से अधिक परन्तु रू. 2,00,000/ तक निर्धारित है। भवनों का आगटन लीजहोल्ड के आधार पर किया जायेग। तथा आगटन की तिथि से 5 वर्षों अथवा देश लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित महनों के विक्रय/हरतांतरण पर प्रतिबन्ध रहेगा, तत्पश्चात् यह फ्रीहोल्ड माना जागेगा।

नोट-

- उपरोक्त दरें वर्तमान CPWD की दरों पर आधारित हैं। यदि CPWD की तरफ से कोई Notification Official
 Cost Index जारी किया जाता है तो प्रधानुसार बाह दरें भी बढ़ आयेंगी और आवंदी उन्हों बढ़ी दरों के आधार
 पर भुगतान को बाध्य होगा और इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
 - भविष्य में हडको / भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट पुनरीक्षित करने पर यथावत लागू हों में । इडको / भारत सरकार द्वारा सीलिंग कास्ट में पुनरीक्षण न करने पर प्रत्येक वर्ष 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर पुनरीक्षित जाएगा।
 - उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनसांश की आधी धनशशि जाग कर पंजीकरण करावा जो सकता है।
 - उपरोक्त पलैटों की संख्या अनुमानित हैं जो घट या बढ़ सकती है। उपरोक्त पलैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है, जिसमें 5 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।
 - शासन अव्यवा किसी भासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त टैक्स गथा वेट, सर्विस टैक्स आदि रोपित किया जाता है तो यह आवटी द्वारा अलग से देय होगा।
 - अनुमानित क्षेत्रफल में वृद्धि होने घर भवन का मूल्य वास्तिकि क्षेत्रफल के अनुसार देय होना।
 - भूतल के लिये 5 प्रतिशत एवं प्रथम तल के लिए 3 प्रतिशत अविरिक्त देव होगा।
 - भवन पूर्ण होने के 3 माह के अन्दर आवंटी को रिजरट्री कराना अनिवार्ग होगा। अथवा तीन माह पश्चात् रू 1 प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह व्याज सहित देग होगा। एक वर्ष तक रिजर्ट्री नहीं कराने पर आवटन निरस्त करते हुए प्रजीकरण राशि में रो 20% शशि की कटौती करके शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जागेगी।
 - विकलांगों को ग्राउण्ड प्लोर में प्राथमिकता के लिये मुख्य चिकित्साविकारी द्वारा जारी अपगता प्रमाण—पत्र लगाना आवश्यक है।




- 2.1 उपरोक्त भवनों का आवंटन उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 1/2418/आठ-1-14-80 विविधारिक के कम संख्या 1128/आ०म०/2014 दिनांकित 26-08-2014 के अनुसार गठित समिति के शास्त्रम से किया जायेगा।
- 2.2 नयन के पश्चात वांक्रित घनराशि एवं किश्ते निर्धारित अविध में जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याख देय होगा। यदि आवंटी द्वारा आरक्षण घनराशि जसवा देय किश्त की घनराशि उसकी देय तिथि से अधिकतम् 90 दिन में ब्याज शहित जमा नहीं की जाती है तो उसका आरक्षण / आवंटन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा जो कि अखनक विकास प्राधिकरण को अधिम सूचित करते हुए किया जायेगा।
- 2.3 विकासकर्ता हारा ये पलैट 36 गाह की अवधि में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तादित है।
- 2.4 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्री-होल्ड पार्जेज व अन्य व्यय का भुगतान भवन का निबन्धन/अनुबन्ध शिक्षी कराने से पूर्व करना होगा। निबन्धन/अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित स्टैम्प पेपर आवंटी को स्वयं तपलब्ध कराना होगा।
- 25 मवन का निबन्धन/अनुबन्ध रिजिस्टर्ड होने के साथ ही आवटी को भवन का कब्जा हस्तगत कर दिया जारोगा।
- 2.6 सम्पत्ति का प्रयोग केवल जावास हेतु किया जारोगा। आवंटी द्वारा कोई भी निर्भाण दिना दिकासकर्ता की अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण / आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा विकासकर्ता द्वारा विध्या ले लिया जायेगा।

3. HE

आवटन पत्र निर्मत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर पूर्ण भूगतान करने पर अनुमानित विक्रय मूल्य की 75 प्रतिशत धनराशि पर 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्द होगी। किन्तु आवटी द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटायी आएगी, छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के पश्चात् अन्य देश नदों में समायोजित किया जोगगा। तत्पश्चात् अवशेष अनुरक्षण शुल्क में समायोजित की आयेगी।

आवंटी / आवेदक की मृत्यु की दशा में :

यदि आनंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है हो उसके आवेदन/उशको आवटित भवन सर्वप्रथम पति/पत्नी को एवं पति/पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।





5. आरहाणः

5.1 शासनावेश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देश होगा।

MIN	वर्ग		प्रतिसत
111	अनुस्थित जाति		21
2.	अनुसूचित जनजाति		02
3	अन्य पिछसा वर्ग		27
4.	विधायक / सांसद य स्वतंत्रता सेनानी		05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा रोवाओं के कर्मदारी		
	जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो		05
6.	स.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण,	-	
	जल संस्थान, नगर गहापालिका व स्थानीय निकायी	12.	
	के कर्मचारी		02
7.	सुरक्षा सैनिक व चनके आश्रित		03

 विकलांगों को शासनादेश सं. 786/जात-1-08-25 विविध-07 दिनांक 30-01-08 तथा अन्बर/जात-1-2011-25 विविध-07 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के अनुसार 03 प्रविशत होशीजोब्दल आरक्षण देव होगा।

(नोट- यदि उपरोक्त सूची में दी गंगी अल्ह्याण तार्विका के अनुसार खावेडन पत्र शिकासकता को सनसरीमा से प्राप्त नहीं होते हैं तो आरक्षित एलेंड में सामान्य ग्रेणी में मिने आर्थेथे ()

5.2 सामाजिक न्याय एवं अभिकारिता पंजालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विधारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों से निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाते, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो सस वर्ग के लिये निष्धिरत 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये निष्धिरत 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये निष्धिरत 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये निष्धित निष्या होगा।

5.3 वृद्धजनों से तात्पार्य ऐसे व्यक्तियां से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

5.4 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्मत प्रमाण-पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

5.5 पैरा 5.3 व 5.1(5) का आरक्षण प्रान्त करने के लिये आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।



- 5.6 (अ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो गाह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल केंद्री के रूप में जेल में कम से कम तीन गाह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ है।
 - (ब) जो पेशावर कॉंड में रहा हो या जो मूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो या भूतपूर्व इध्डिपै-डेंश लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।
- 5.7 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत / सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है ।
- 5.8 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तंगत काने वाली जातियाँ से है।
- 9.9 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उठप्रत (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट हैं। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- 5.10 लखनक विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तास्पर्य ऐसे कर्मधारी से हैं जो नियमित अधिष्ठान में सीधी मती से नियुक्त हो |

आवंदन :

- 6.1 पलैटों (पलौर / थूनिट न0) का आवंटन पलैट की उपलब्धता में आधार पर लाटरी के माध्यम से जन शामन्य के समृद्ध किया जागेगा।
- 6.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक लप से विकासकर्ता के नोटिस बोर्ड एवं विकासकर्ता की वेबसाइट www.paarthinfra.com पर सपलब्ध होगा।

पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं असफल आवेदकों की जमा घनराशि की वापसी :

7.1 चयन की लाटरी के पश्चात् असफल एवं निरस्त आवेदन पत्रों के आवदकों को एक माह के अन्तर एकाउण्ट पेई चेक हारा धनराशि बिना ब्याज के बैंक को नाध्यम से वापना की जायेगी। इस हेतु आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट नधान पर अपने बैंक का खाता विवरण अंकित करना होगा।



7.2 सम्पत्ति के आवंदन के पश्चात् धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

तथ्यों का छिपाना :

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनकें आसंदन/अनुबन्ध/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विकासकर्ता को होगा एवं आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्द कर ली जायेगी एवं यदि पलेटका कब्जा हस्तमत हो बुका है तो विकासकर्ता श-एन्ट्री करते हुए फलैट का कब्जा वापस प्राप्त कर सबैगा अथवा विकासकर्ता ल0वि0पांठ की शर्ता के अनुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझें) कर सकता है।

9. भुगतान

आवंटीयों द्वारा सीलिंग कास्ट के अनुसार देय घनराशि का भुगतान शीघे विकासकर्ता को किया जागेगा तथा आवंटी के पक्ष में विकय-विलेख के निकटान हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

10. पलैट्स का कब्जा :

- 10.1 फ्लैट्स के सम्पर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के चपरान्त अनुबन्ध/निबन्धन निष्णदन के साथ ही आवटी को फलेट का कब्जा दिया जायेगा। आवटन तिथि से 36 माह में, फ्लैट का कब्जा न दिये जाने की रिव्यति में आवटी को अपनी जगा धनराशि पर 4 प्रतिशत बागारण ब्याज के साथ अपनी ब्याज सितिल जमा धनराशि वादस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 10.2 जनुबन्ध / निबन्धन में आने वाला समस्त व्यथ एवं स्टैम्य पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 10.3 विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में पत्तेट का कब्जा न लेने पर आवंदी को नियमानुसार आरक्षण शुल्क देना होगा तत्पश्चात् अनुबन्ध / निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता को लेनि प्रा. को सूचित करते दूए पत्तैट का आवंदन निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. शुल्क / कर आदि की देयता .

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क आवंटी पर देश हों गे ।



12. अन्य सामन्य नियम व शतें :

- 12.1 आवंटन के पश्चाए विकासकर्ता की अन्य प्रचलित शर्ते / नियम तथा समय-समय पर विकासकर्ता अध्यवा प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/परिवर्तन/प्रिक्यन लागू एवं मान्य होंगे।
- 12.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदकों के नाम/हस्ताक्षर जॅकित हो, लगाना आवश्यक होगा।
- 12.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनक होगा।

13. पंजीकरण प्रक्रिया :

- 13.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुरित्तका दिनाक 18 अंबर्ट्डर, 2015 से 16 नवम्बर, 2015 तक किसी भी कार्य दिवस में 200/— नगद मुगतान पर निर्दिष्ट बैं को से प्राप्त की जा सकती है।
- 13.2 पंजीकरण पुरितका रू. 225/ का वैक जापट पार्थ इन्क्राविल्ड 910 लि0 (Pauth Infrabuld Pvt. Ltd.) के पक्ष में जो लखनक शहर में देय हो, मेज कर ठाक द्वारा भी नंगावी जा सकती है।
- 13:3 पंजीकरण प्रयत्र कम्पनी की वेबसाइट www.pamihinira.com से ठाउनलोड करके भी प्राप्त किये जा सकते है ऐसे आवेदन पत्रों पर धनशक्षि के साथ पंजीकरण प्रभव हेतु रू. 200∕ — का अलग से भूगतान करना होगा।
- 13.4 योग्य आवेदकों की सूची लखनक विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध होगी। इस सम्बन्ध में जन सम्पर्क कार्यालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- 13.5 योग्य आवेदकों की सूची जारी करना सत्पश्चात् पत्तैयों का आवंदन करना लखनक विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 13.8 विवरण पुस्तिका में रांलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण कवेण मरें।
- 13.7 पंजीकरण की घनराशि का द्वापट ∕पे-ऑर्टर पार्थ इन्फाबिल्ड प्राठ लि0 (Paarth Infrabulid Pvt. Ltd.) के पदा में, जो लखनक शहर में देय हो, द्वारा होगा।
- 13.8 विवरण पुरितका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप को रू 10/- के स्टाग्य पेपर पर टेकित कराकर नोटरी/मजिरट्रेट द्वारा सत्यापित कराते दुए आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 13.9 पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र गुको बैंक, LDA गोमती नगर शास्ता से अन्तिम तिथि से पूर्व जमा किये जा सकते हैं।
- 13.10 आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विकासकर्ता द्वारा LDA के खनुगोदन उपरान्त बढ़ायी जा सकती है।



14. आवेदन-पत्र मरने के लिए अन्देश:

- आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नाम द पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे मरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 2 शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। जल आवदेक की सुविधा के लिए आवेदन-पत्र के क्रमांक 6 व 7 पर पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
- संयुक्त नाम से प्रस्तुत किए गये आवेदन-पत्र में दोनो आवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने पाहिए।
- आवेदन-पत्र पर आवेदक/आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा।
- 5. आवेदक द्वारा बैंक ख्रापट के पीछे पूरा नाग, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अंकित कर दियाजाना चाहिए। बैंक च्रापट Paarth Infrabund Pvt. Ltd. के नाम अंकित होना चाहिए।
- 6. आवेदक कृपया अपने बैंक काते से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनायें आवेदन एव में निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य भरें जिससे कि असफल आवेदकों की प्रजीकरण धनराशि को वापसी सीधे चनकें खातें में तत्काल जमा करनी सम्भव हो सबेगी।
 - (अ) बैंक के बाम का एम.आई.सी. आर कोंड (ब) बैंक के बाच का आई.एफ.एस.ई. कोंड (स) खाते का प्रकार (बचत/करेंट/केश क्रीडिट)

15. मुगतान पहित के कोड

नगद भुगतान (आवंटन की तिथि से 90 दिन की अवधि में पूर्ण भुगतान) स्वविस्त पोषित (24 माह में 8 तिमाही किश्तों में भुगतान)

16. प्रस्तावित योजना का कोंड:

मोमती नगर एक्सटेशन योजना, लखनक

17. पलैट का प्रकार

EWS

LIG





EWS & LIG BLOCK PLAN (अट्रूप एवं निम्न आय आवासीय योजना)

Disclaimer – This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.





TYPICAL LIG UNIT PLAN



KEYPLAN

AREA DETAILS

Unit Area = 51.00 sq.m

Common Area(lobby, staircase, mumty, machine room) = 12_14,sq.m

Total super area = 63,14 sq.m*

"(Mote: Architectural brature, cost purking & coherloading is not fectuated)

LIG UNIT PLAN (अल्प आय वर्ग यूनिट)

Disclaimer – This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.





TYPICAL EWS UNIT PLAN



KEY PLAN

AREA DETAILS

Unit Area = 28.35 sq.m

Common Area(lobby, staircase, mumty, machine room) = 6.75 sq.m

Total super area = 36.10 sq.m

"(Note: Architectusel feature, sold parking & latter all parking & not included)

EWS UNIT PLAN (निम्न आय वर्ग यूनिट)

Disclaimer – This brochure is purely conceptual and not a legal offering. Further the promoters / architects reserve the right to add / delete any details / features / specifications / elevation mentioned if so warranted by the circumstances.



Specifications for EWS & LIG Housing

- 1. Structure
 - (a) Ground plus three Stepped footing in brick masonry for sub-structure
 - Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry.
 - RCC lintel band and roof level band for earthquake resistance.
 - (b) Above Ground plus three
- · RCC framed structure
- Preferably Rat Trap Bond in bricks for wall masonry.
- 2. Roof/Floor
- Reinforced Brick Slab or Pre-cast Reinforced Brick panel for roofing placed over partly pre-cast RCC Joists
- with screed.
- · CC flooring.
- 3. Door/Windows
- For main entrance 35mm thick flush door with 35mm x 35mm x 5mm MS Angle Iron Frame.
- · T&Z Section window with glass panes
- 4. Finishing
- · Internal plastering
- External walls exposed finish with ordinary colour wash.
- Enamel painting on doors/windows

Note: Above specifications are Indicative.



General Specifications

Slab: Slab of Room, Kitchen and Toilet will be prefabricated & pre-stressed.

Walls: All the walfs will be 9"/4½" thick Brickwork walls and shall be plastered inside and outside both with 1:6 Cement and fine sand mortar.

Finishing Items:

- (I) Flooring:
 - (a) Room : Average 25mm thick CC flooring.
 - (b) Kitchen: Average 25mm thick CC flooring.
 - (c) Bath-room: Average 25mm thick CC flooring.
 - (d) W.C.: Average 25mm thick CC flooring.
- (II) Doors, Windows and Ventilators.
 - (a) Door: For main entrance 35 mm thick flush door with 35mm x 35mm x 5mm MS angle fron frame along with 2 Nos. tower bolts of length 6" or 9" as suitable with 2 Nos. handles and 1 No. 12" MS aldrop.
 - (b) Toilet door will be flush door panels with angle fron frame along with 2 Nos. tower bolts and 2 Nos. handles.
 - (c) Windows: All windows will be T & Z section.
- (iii) Painting:
 - (a) Inside the unit for wall and ceiling: Two cost white wash for wall and ceiling.
 - (b) Outside: Two cost of ordinary colour wash for walls.
 - (c) Door and Windows frame: Door, window frame should be with one coal primer and one coat of oil point.
- (IV) Dado
 - (a) For toilet 450 mm dado with cement punning.
 - (b) For kitchen 150 mm dado with cement punning.
 - (c) W.C. 450 mm high dado in cement punning.
- (V) Plumbing & Sanitary: *
 - (a) W.C.: European/Western
 - (b) Two number 1/5" PVC tap of good quality in the toilet.
 - (c) One number 52 PVC tap of good quality in the kitchen.
 - (d) Soil line, waste water line should be of 4" dia PVC Pipe of 4 Kg/Sq.Cm. pressure.
 - (e) 4" dia PVC nahani trap with jalli one in toilet & one in kitchen.
 - (f) Heavy duty PVC solvent pipe for all water line.
- (VI) Electrification:
 - One number fan-hook and PVC conduit pipe in slab.
- (VII) Pre-cast Kitchen platform of size 450mm x 1000mm to be provided in the kitchen.



LOCATION MAP





आवेदक के हरताकर

ार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा० लि0 वेवटर-र गोमही नगर एक्कटेशन, ग्राम ब्रह्ममानक, लक्कनक HDO:- этомативний выстанивности वंबसाइरः-_च्यांक्रीध्वतिभववः

*		शपथ-पत्र	का प्रारूप	95	
	(शपध-पत्र रू. 10)	/- के जनस्ल	स्टैम्प पर नोट	री द्वारा प्रमाणित र	(1)
मैं / हम श्री / श्रीमा				र्व/पुत्री/पत्नी/श्री	1.5
बयान करता/करत	ी हुँ/करते हैं कि:-				0.00
1. में ∕हम मा	रत का / के नागरिक हैं /	/å i			7
 मेरे या मेरे लखनक न 	परिवार (परिवार,का तात गर में लखनक विकास मिति द्वारा विकसित कार	पर्ग आवेदक, उस प्राधिकरण, आव	ास विकास परि	बद, इम्पूबमेण्ट ट्रस्ट,	
कारण से	प्रजीन के प्रकार के सम्बन् आवंदित भूखण्ड के रहनी/करेंगे।				
1.00	सार निर्धारित तिथियाँ र या जाता है एवं विकास				
	भेरे परिवार के पास निर्ज	वार पहिया गोट	राइकड बाहन नेह	តិ ៖ (តំបត EWS និ	त लाग्)
	त्र में भेरे द्वारा जो तथ्य ।			4,	
यदि सपरोव मृखण्ड/भ इस मिथ्या ।	जीकरण कार्म में खाता र ति घोषणाएं भविष्य में वन निरस्त कर दें तथा निरूपरण के कारण जुनी मांति मुझेंके वसूली कर त	असत्य पायी जा समस्त जमा धनर नि/दण्ड स्वरूप	यें तो विकासक १शि जब्द कर ले	तां को यह अधिकार । यदि मूखण्ड की र	हिँगा कि वह आवटित जिस्ट्री हो गई हो तो मं
शपथी					,
आवेदक की प्राप्ति	रसीद (अविदक्षारा	स्वयं भरा जायेग	ा) पंज	ोकरण कार्म नम्बर _	
आवेदक का नाम		्डापट नं	इस्ने बाले बैंक स	धनराशि	
4 / 7	शास्त	SECTION AND SECTION ASSESSMENT		S W 1 10 V N	

हरतालर एवं वैक की मृहर

विनाक-

् पार्थ आर्का योजना सेक्टर-7, गोमती नगर एक्सटेंशन

सामान्य पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

आयेदमः का सरीनातम् प्रदेशे अभिवादं है।

आरियक का मार्कितम् सारा अधिकार के

आवेदको / आवेदक के हस्तामर

J.	योजना का नाम					
2.	आवेदक का नाम (हिन्दी में)			2		
	(अंग्रेजी मे	1		2		
3.	पेता / पति का नाम	1		773310 mm - 40		1114,000,000,000,000
4.	जायु	1		-		!*::::::::::::::::::::::::::::::::::::
			आवेदन की दशा में			
5.	पता (अ) वर्तमान पता (पत्र र	थवहार हेत्)		22-22-1 251 20130	***	
			पिन कोड		3-9-0	
	(ब) स्थायी पता		11 (2)			+ +
	T1011111111111111111111111111111111111		the enter		Section 5	
6.	आरक्षण श्रेणी (आरक्षित श्रेणी (आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र	का उल्लेख क	it)		cotton	4 4
	(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पड	संसाम करना	अभिवर्ग है।			
Z:	पंजीकरण धनराशि की वापर्स		The second secon		***************************************	
	बैंक का नाम					
8.	जमा की गयी पंजीकरण धन	ਹੁਇ। ਰਜ਼ ਜ਼ਿਰਦਾ	ग रहीन आग भर्न	. साक्षा का नाम . विकास		+ & .
	पंजीकरण धनराशि स्		, gari oud di	(8:00년(2대) V 여0	न जान वन (एक) अन	李州()
	शाखा	- 1	uer	641 +1/		
9.	आवेदक का व्यवसाय	-,1100	hints.	Laboration	The second secon	
	(प्रमाण पत्र भी संलग्न करें)	-	-	(i) 3114		
10.	आवेदक के परिवार के आश्रित	र सहस्रों का र	filmon _		19	
	* HIII	214241 40 1	019321		1	
	1		આવુ		49	Plant
	2			1111		
	3			****		
	A		***************************************			
tr. /-	4			**************************************		
TIVO	हम एतद् द्वारा घोषणा करता/र	करला हूं कि उप	शिक्त दी गयी सूच-	। मेरी जानकारी में	सत्य है एवं इसमें कु	छ भी छुपाया नहीं
7141	है तथा इसका कोई भाग उपसत्य	जुहा है। में / ह	म धाषणा करता/व	लती हूं कि मैंने / ह	मने उपल योजना में।	पंजीकरण सम्बन्धी
41.46	त । नयम एवं शता का जा श	। सनादशः संख्य	T		- 2	ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੇ
-ich	न्यात ५६ / समझ लिया ह तथा	म छन्स सहमत	ते हैं रामा उन्हें मानन	क लिए बाध्य है।	में / हम वे भी प्राचणा	क्रम्या / सप्रका में
(4)	भाव क्यूबर दा गई काई संचना	अथवा सूचना	का काई भाग अस	त्व या अपण पायी	जाती है तो विकास	कर्ता कमानी को
पजी	करण / आवंतन निरस्त करने तथ	॥ अन्य विधिकः	कार्यवाही करने का अ	संधियनर होगा।		mencies Theoday

सलम	नक :	4 6					
1						nii.	
1			9	3			
	¥		1	नाम			
दिनार	п1						
				हे प्रयोग हे	तु •		
Jenne	2020314						
9140	राजगणि क	10,4114=	Orania de la composição	वक का नाम,	/ शाखाः		
			Managara and	in as called at	अनुरक्षित्र याचा ह	ाने की तारीख	
						-	
		1			बैंक की मुह	र एवं हस्ताक्षर	
			कार्याल	य के प्रयोग है।	Ţ		
पंजीव	रण का दिनांक .		आवंटित पंजीकर	ग संख्या		टित भवन संख्या	
आवर	न पत्र संख्या	Ţ	हवं निर्गत होने व	ी विधि			
						- 1 A	
			17.0		री के हस्ताक्षर ट अक्षरों में	3	
			-	2		. ~.	
	100		S			1. 1.	4
			2.6			4	
		- **					
							36

पार्थ आको योजना

चरण संख्या : [2]0]1[3]0[1]
पंजीकरण जमा चालान लेखशीर्षकः पंजीकरण खाता पार्थ आर्का योजना (स्वच्छ अक्षरों में भरें)
आवेदक का पूरा नाम :
पिता / पति कर नाम :
बर्तमान पता :
नगर योजना का नाम जिसमां लिए आवेदन कर रहे हैं।
सम्पत्ति का प्रकार :
जमा की धनराशि क
(शब्दों में) क
1. नकद जमा : दिनाक :
जमाकतो बैक का नाम एवं शाखा
अधवा 2. वैंक ग्रापक × दिनांक
निर्गत करने थाले बैंक का साम एवं शास्त्रा .
आवैदक के हस्लाक्षर
(केवल बैंक के प्रयोग हेतु) उपरांका धनराशि प्राप्त की एवं परिषद के पूजी खाला में जमा किया।
दिनांक : प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक) बैंक की मोहर

चालान संख्या	वैवा प्रां
पार्थ आव	र्गे थोजना
चरण संख्या : [2]0 1 3 0 1	
पंजीकरण व लेखशीर्थकः पंजीकरण खाता (रच्चा अक्षरों में भरें)	तमा चालान पार्थ आकर्षियोजना
आवेदक का पूरा नाम :	
पिता / पति का नाम :	7
इर्तमान पता :	
नगर_योजना का नाम जिसके लि सम्पत्ति का प्रकार	१ आयेदन कर रहे हैं :
-1 - 7/25	
जमा की धनशैशि कु	* * *
(सम्बों में) स	
1. नकद जमा :	दिनोक
जमाकर्ला बैंक का नाम एवं शास्त्र	
अपवा 2. बैंक द्वापट :	13.
	विनांक
निर्गत करने याले बैंक का नाम एव	TROUT TO THE TROUTS
आवेदक के हस्ताक्षर	100
(केवल बैंक के उपरोक्त धनरात्रि प्राप्त की एवं परि	प्रयोग हेतु) यह के एंडी खाल से ज्या

किया।

दिनाक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक) बैंक की मोहर

पार्थ आर्का योजना

चरण संख्या : [2]0 ्र लेखशीर्षकः पंजीक	ॉजीकरण जमा <u>च</u>	C-0.000 (1) 2
(स्वच्छ अक्षरों में भरें)		Sirari di vini
आवेदक का पूरा ना	1.1	
the contract of		
पिता/पति का नाम		
AGRANIA ANTON		1
यतीमान पता		
नगर योजना का ना	म जिसके लिए आ	वेदन कर रहे हैं
सम्पत्ति का प्रकार :		
जमा की धनराशि	₹.	
(शब्दों में) क.		,
१. नकद जमा		दिनांक :
जमाकर्ला वैक का	नाम एवं शास्त्र	
जणवा 2. बैंक झफट : ~		दिनांक :
निगंत करने वाले व	क का नाम एट भ	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O

आवेदक के हस्ताक्षर

(केवल बैंक के प्रयोग हेतु) जयरोक्त धनरांशि प्राप्त की एवं परिषद के पूंजी खाता में जमा किया।

विनांक :

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक) बैंक की मोहर

पार्थ	आक्री	योजना

धालान संख्या

दिनांक :

bases the market account account	तमा चालान सर्भ आरुटी मोजना
नेखशीर्षकः पंजीकरण खाता स्वच्छ अक्षरों में भरें)	मान्य आका चाव्रामा
5410 MINT 11 114/	
शवेदक का पूरा नाम :	
पेता / पवि का नाम :	1.0
SMILE STUDENTS STORY	
mental trans	
र्तमान पताः	
जमा की चनराशि ^र ेक. (शब्दों में) क.	17
।, नकदं जमाः	दिनाकः
ा, नकद जमा : जमाकर्ता वैक का नाम एवं शा	
१, नकदं जमाः	
ा, नकद जमाः जमाकर्ता वैक का नाम एवं शा अथवा	GII .

प्रबन्धक (सम्बन्धित बैंक) बैंक की मोहर



पार्थ आर्का गार्थ इन्हाबिल्ड पाठ लिठ सीक्टर-७, गोमती नगर एक्सटेंशन, शहीदपथ, लखनऊ। गोठ- 91-9964788989, 9984865888, 0522-4935900-50

रिजस्टर्ड आफिस: पार्थ इन्छाविल्ड पाठ लिठ प्लॉट नंठ 73, याउण्ड फ्लॉर, पटपडगज इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली — 110 092 देवसाइट www.paarthinfra.com